ज्ञापांक 557/4-26935/ पी03

43—38—96—2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03.06.19

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/सैन्य पुलिस/बिहार पुलिस अकादमी, बिहार।
अपर पुलिस महानिदेशक, अप0अनु0वि0/वि0शा0/आ0अप0ई0/निगरानी विभाग, बिहार।
सभी पुलिस महानिरीक्षक (रेल, सै0पु0 एवं इकाई सहित), बिहार।
सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक (रेल,सै0पु0 एवं इकाई सहित), बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार ।
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं ईकाई सहित), बिहार ।
सभी समादेष्टा, बि0सै0पु0(अश्वारोही सै0पु0,आरा एवं म0स0वा0,सासाराम सहित),बिहार।
सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।
सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, बिहार।

विषयः— अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंगः— गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्रांक—9646, दिनांक—15.11.2018।

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के नाबालिग आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस आदेश संख्या—209/88 निर्गत है। किन्तु कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आश्रित नाबालिग बच्चों का उम्र उनके पिता/माता की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के पश्चात् भी बाल सिपाही हेतु निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा 12 वर्ष पूरी नहीं कर पाने के कारण इनका मामला कालबाधित हो जाता है, जिस कारण आश्रित परिवारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के पत्रांक—695/389316/पी03, दिनांक—18.09.2018 द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना से मार्गदर्शन की मांग की गयी थी। तत्पश्चात् गृह विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस आदेश संख्या—209/88 में निहित प्रावधानों के आलोक में समुचित निर्णय लेने का निदेश दिया गया (प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

उक्त आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :—

1. मृत सरकारी पुलिसकर्मी के आश्रितों के द्वारा बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन को पुलिस आदेश संख्या—209/88 में निहित प्रावधानों के आलोक में कालबाधित नहीं माना जाय।
2. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्रांक—9646, दिनांक—15.11.2018 के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं पुलिस आदेश संख्या—209/88 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 12 तथा अधिकतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित है।

अतः अनुरोध है कि पुलिस आदेश संख्या—209/88 एवं गृह विभाग के प्रासंगिक पत्रांक—9646, दिनांक—15.11.2018 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मृतककर्मी के नाबालिग आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनुलग्नकः— यथोपरि।

3/6

पुलिस महानिरीक्षक, (बजट/अपील/कल्याण)
बिहार, पटना

D-DRIVE/NIRAJ/AJAY-I/ANUKAMPA

प्रतिलिपिः– श्री गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को उनके पत्रांक–9646, दिनांक–15.11.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक, (बजट / अपील / कल्याण)
बिहार, पटना।

D:DRIVE/NIRAJ/AJAY ANUKAMPA

पत्र संख्या–8/अनु0–10–05/2018 गृ0आ0 7646

(52)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/11 2018

विषयः– **एस0टी0एफ0, बिहार, पटना के जे0सी0–77 स्व0 अनूप कुमार सिंह के पुत्र आदित्य प्रताप सिंह को अनुकंपा के आधार पर बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–695/389316/पी0 3, दिनांक 18.09.2018

16/11

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति संबंधी पुलिस आदेश सं0–209/88, निर्गत है जिसमें मृत पुलिस कर्मियों के नाबालिग बच्चों को बाल सिपाही के पद पर नियुक्त करने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 12 वर्ष निर्धारित है, किन्तु पिता/माता की मृत्यु के अधिकतम 5 वर्ष तक ही उनकी नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा कोई नियम उक्त आदेश में नहीं है। आदेश में आवेदन देने की समय सीमा का भी उल्लेख नहीं है।

ऐसे में पुलिस मुख्यालय द्वारा आलोच्य मामले में बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मी की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष की अधिसीमा में ही बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र की गणना संभवतः सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी परिपत्रों के आलोक में किया जा रहा है। परंतु बाल सिपाही पद पर नियुक्ति संबंधी पुलिस आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें यह उल्लेख हो कि बाल आरक्षियों की नियुक्ति के लिए आवेदन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति के परिपत्रों के प्रावधान लागू होंगे। अतः उक्त परिपत्रों के आधार पर बाल सिपाही की नियुक्ति में उम्र सीमा की गणना किये जाने का कोई वैधानिक आधार नजर नहीं आता है।

श्री अजय
19/11

2551/13
19.11.18

बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति संबंधी पुलिस आदेश में आवेदन देने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है। उसमें मात्र इतना ही उल्लेख है कि इन पदों पर 12–18 वर्ष के बच्चों की नियुक्ति की जायेगी तथा इस प्रकार नियुक्त बच्चों की सेवा सरकारी सेवा के लिए निर्धारित आयु 19 वर्ष प्राप्त होते ही समाप्त कर दी जायेगी।

C-No-344729/18

(51)

अतः पुलिस आदेश सं0–209/88 (छयाप्रति संलग्न) के प्रावधानों के आलोक में आलोच्य मामले में समुचित निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15.11.18

(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव